न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र सख्या 48/2022

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी अजमेर

– प्रार्थी

बनाम

1.श्री सुनील चौबे पुत्र स्व0 श्री रतन लाल निवासी काली माई रोड, नसीराबाद
2.श्री मुकेश गुर्जर पुत्र श्री खुशीराम गुर्जर निवासी सुत्तरखाना, नसीराबाद
3.श्री इकबाल पुत्र श्री अब्दुल हमीद निवासी राजपूत छात्रावास वास के पास कुन्दन नगर अजमेर

– अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्री अब्दुल सादीक, प्रर्वतन अधिकारी प्रार्थी
2. श्री नवीन गुर्जर अभिभाषक अप्रार्थी 1 व 2
3. श्री राफक तुल्लाह अभिभाषक अप्रार्थी 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

–ःआदेशः–

दिनांक 15.03.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 10.10.2022 को श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी, अजमेर के हमराह नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारी नसीराबाद कोटा रोड पर भटियानी चौराहा स्थित न्यू घूमर रेस्टोरेन्ट पर पहॅचे । इस स्थल के बारे में यह शिकायत थी कि यहॉ पर वाहनों में गैस रिफिलिग का अवैध कार्य किया जाता है। मौके पर रेस्टोरेन्ट के वाई दिशा में एक पक्के झोपडीनुमा स्थान पर एक मारूति वेन RJ-01-UA-6141 एचपी कम्पनी के लाल घरेलू 14.2 किग्राम श्रेणी वाले गैस सिलेण्डर से इलेक्ट्रिक रिफिलिग मशीन के जरिये गैस रिफिलिग की जा रही थी । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थी 1 व 2 अधिवक्ता नवीन गुर्जर उपस्थित। अप्रार्थी 3 की ओर से श्री राफक तुल्लाह अभिभाषक उपस्थित आये । सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया ।

पेरोकार सरकार एवं अप्रार्थी अभिभाषक की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस कथन किया कि दिनांक 10.10.2022 को श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी, अजमेर के हमराह नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारी नसीराबाद कोटा रोड पर भटियानी चौराहा स्थित न्यू घूमर रेस्टोरेन्ट पर पहुॅचे । इस स्थल के बारे में यह शिकायत थी कि यहॉ पर वाहनों में गैस रिफिलिग का अवैध कार्य किया जाता है। मौके पर रेस्टोरेन्ट के वाई दिशा में एक पक्के झोपडीनुमा स्थान पर एक मारूति वेन RJ-01-UA-6141 एचपी कम्पनी के लाल घरेलू 14.2 किग्राम श्रेणी वाले गैस सिलेण्डर से इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन के जरिये गैस

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

रिफिलिग की जा रही थी । उस सिलेण्डर का एस.आर. नम्बर 500198 एस है। पास ही में मारूति वेन के पीछे और चार घरेलू एल.पी.जी सिलेण्डर बरामद हुए। जो व्यक्ति मारूति वेन में गैस रिफिलिंग का काम कर रहा था उसने अपना नाम मुकेश गुर्जर पुत्र श्री खुशी राम गुर्जर निवासी सुत्तरखाना नसीराबाद होना बताया। उसके अनुसार वो 8000/– रूपये मासिक वेतन में श्री सुनील चौबे, प्रोपराइटर न्यू घूमर रेस्टोरेन्ट के लिए कार्य करता है, उसने यह भी बताया कि वो यहां केवल गैस भरने का ही काम करता है। मौके पर मारूति वेन जिसमें गैस भरी जा रही थी मारूति वेन RJ-01-UA-6141 का मालिक मौके पर मौजूद था, जिसने अपना नाम इकबाल पुत्र श्री अब्दुल हमीद निवासी कुंदन नगर, राजपूत छात्रावास के पास अजमेर होना बताया । अजमेर से सवारी लेकर सरवाड जा रहा था । उसने बताया कि 1100/– रूपये में उसे रिफिलिंग की मजदूरी सहित सिलेण्डर दिया गया। मौके पर श्री सुनील चौबे ने पुष्टि की कि 1100/– रूपये में ही वो सिलेण्डर देता है तथा रिफिलिग भी करता है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी श्री सुनिल चौबे के विरूद्व इसी प्रकार की कार्यवाही की जा चुकी है। मौके पर समस्त स्थिति से यह स्पष्ट हो गया कि शिकायत सही है तथा घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरो का वाहनो में अवैध रिफिलिंग में दुरूपयोग किये जाने पर डी.एस.ओ विनय कुमार शर्मा द्वारा मारूति वेन RJ-01-UA-6141 (ग्रे कलर) तथा मौके पर पाए गये पांच घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर तथा इलेक्ट्रिक गैस रिफिलिग मोटर मय पाईप राजहित में कब्जेराज लेकर जब्त किये गये । जब्तशुद्वा मारूति वेन थाना सदर नसीराबाद के ए.एस.आई श्री शंकर सिह को अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दी गई। इस मारूति वेन का मूल्य 70000/– रूपये है। जब्तशुदा पांच घरेलू एल.पी.जी सिलेण्डर तथा इलेक्ट्रिक गैस रिफिलिंग मोटर मय पाईप मैसर्स मल्का गैस सर्विस नसीराबाद के मैनेजर श्री फिरोज खान को अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द्व किये गये। जब्तशुद्वा सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार हैः–

क0सं0	गैस कम्पनी	एस.आर. नंबर	टीवर वेट	ग्रॉस वेट	नेट वेट
1	HPCL	5001965	15.2 Kg	17.7 Kg	2.5 Kg
2	HPCL	5273831	15.9 Kg	15.9 Kg	Nill
3	HPCL	77601E	15.7 Kg	15.7 Kg	Nill
4	HPCL	384418 E	15.4 Kg	28.4 Kg	13 Kg

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

5	HPCL	227835 E	15.7 Kg	24.7 Kg	09 Kg

उक्त का यह कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 के क्लॉज (3)(1)(क)(ख)(ग)(घ), क्लॉज (2)(4,)4.1(क)(ग)(घ)(ड)5,6,7 (1) क,ख के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्क़ वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 अवैध रिफिलिंग मशीन एवं मारूति वेन **RJ-01-UA-6141** को राजसात करने के आदेश फरमावे । जवाब में 1 व 2 ने निवेदन किया गया कि प्रस्तुत परिवाद झूठे व गलत तथ्यों पर आधारित है। मुकेश गुर्जर पुत्र श्री खुशीराम गुर्जर निवासी सूतरखाना रेस्टोरेंट में काम करता है जो कि रेस्टोरंट में खाना बनाने व सप्लाई करने का काम करता है न गैस रिफिलिग का । इकबाल पुत्र श्री अब्दुल हमीद रेस्टोरेन्ट में अपनी मारूति वेन लेकर आया परन्तु गैस भरवाने नही बल्कि मिलने आया था। जो उसका मित्र है। अतः जवाब स्वीकार कर दोषमुक्त करने के आदेश प्रदान करावे। अप्रार्थी 3 ने निवेदन किया कि जो परिवाद प्रस्तुत किया गया है व ह झूठे और गलत तथ्यों पर आधारित है। अप्रार्थी संख्या 3 किसी प्रकार की कोई सवारी लेकर सरवाड नही जा रहा था ना ही उसने प्रवर्तन अधिकारी को यह कथन किया कि उसे सलेण्डर 1100/– रूपये में दिया गया है अप्रार्थी संख्या 3 अप्रार्थी संख्या 1 सुनील चौबे अपने मित्र से मिलने उसके पास न्यू घूमर रेस्टोरेट भटियानी चौराहा कोटा रोड, नसीराबाद पर गया था अप्रार्थी संख्या 1 सुनील चौबे उक्त होटल का मालिक है जहा अप्रार्थी संख्या 3 उससे मिलने गया था उक्त होटल पर अप्रार्थी संख्या 3 की मारूती वेन में किसी प्रकार की कोई सवारी नही थी ना ही उसने अवैध रिफलिंग के लिए कोई सलेण्डश्र खरीदा ना ही अपनी गाडी में अवैध रिफलिंग करवायी। वाहन खराब हो जावेगा जबकि पिछले काफी समय से वाहन के खडे रहने से डेमेज हो गया है इसलिये वाहन के समुचित रख रखाव के लिए उपरोक्त मारूति वेन **RJ-01-UA-6141** को सुपुर्द पर छोड़ा जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्यायहित इसके अनुसरण में वाहन उनको सुपुर्दगीनामें पर सौपे जाने का आदेश प्रदान कराने का अनुरोध किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि अप्रार्थी द्वारा जवाब बहस में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य,सबूत के नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन करते। वक्त जांच अप्रार्थीगण के रेस्टोरेन्ट से 5 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा 1 अवैध गैस रिफिलिंग मशीन का पाया जाना अवैद्य गैस भण्डारण एवं रिफिलिंग की पुष्टि करता है। अप्रार्थी का यह कृत्य यह कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 के क्लॉज (3)(1)(क)(ख)(ग)(घ), क्लॉज (2)(4,)4.1(क)(ग)(घ)(ड)5,6,7 (1) क,ख के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्क वस्तु अधिनियम

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, तथा कब्जेराज लिये गये उक्त 5 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा एक रिफिलिंग मशीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत् राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें । दिनांक 10.10.2022 को श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी, अजमेर के हमराह नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारी नसीराबाद कोटा रोड पर भटियानी चौराहा स्थित न्यू घूमर रेस्टोरेन्ट पर पहुँचे । इस स्थल के बारे में यह शिकायत थी कि यहाँ पर वाहनों में गैस रिफिलिग का अवैध कार्य किया जाता है। मौके पर रेस्टोरेन्ट के वाई दिशा में एक पक्के झोपडीनुमा स्थान पर एक मारूति वेन RJ-01-UA-6141 एचपी कम्पनी के लाल घरेलू 14.2 किग्राम श्रेणी वाले गैस सिलेण्डर से इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन के जरिये गैस रिफिलिग की जा रही थी । मौके पर घरेलू एलपीजी सिलेण्डर से अवैध रूप से मारूति वेन RJ-01-UA-6141 गैस भरी जा रही थी उस समय वाहन चालक/मालिक श्री इकबाल पुत्र श्री अब्दुल हमीद स्वंय मौके पर मौजूद था उसकी मौजूदगी में घरेलू गैस सिलेण्डर की गैस को उक्त रिफिलिंग मशीन के जरिये उपरोक्त मारुति वेन RJ-01-UA-6141 में भरी जाकर अवैध कृत्य किया जा रहा था इससे उपरोक्त वाहन में घरेलू गैस सिलेण्डर की गैस का अवैध उपयोग किया जाना/ होना स्पष्ट है इस प्रकार अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर कीं गैस को रिफिलिंग मशीन द्वारा वाहन के किट में भरे जाने मारूति वेन RJ-01-UA-6141 वजह सबूत के कब्जेराज लिया गया। अप्रार्थी ने मारूति वैन को उसे सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने की प्रार्थना की है। उपरोक्त स्थिति के तहत अप्रार्थी स. 1 द्वारा एल.पी.जी. (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 के खण्ड सं. 3(1) (C) 4(1) (a) (e) तथा 6 का उलंघन स्पष्ट है जो आवश्यक वस्तु अभि. 1935 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा उपरोक्त मारूति वेन RJ-01-UA-6141 के लगी गैस किट में अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर से रिफिलिग मशीन को सहायता से गैस भरवाने/उपयोग के साबित होने के फलस्वरूप रूपये 10,000/–अक्षरे दस हजार रूपये मात्र का जुर्माना किया जाता है, सम्बन्धित वैन मालिक द्वारा जुर्माना राशि अदा करने पर जब्त किए गये उपरोक्त वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो स्वामित्व बाबत् सन्तुष्टि के सम्बन्धित को सुपर्द कर दिया जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.03.2023 को बाद हस्ताक्षर के सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर